न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 82/2021 (2021/331)

1. गोकल पुत्र धन्ना जाति माली निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

—प्रार्थी

बनाम

1. कजोड पुत्र रामपाल
2. केसर पुत्र रामपाल
3. गोपाल पुत्र रामपाल
4. पप्पू पुत्र नन्दा
5. नन्दा पुत्र मांगीलाल
6. रंगलाल पुत्र रामपाल
7. रामलाल पुत्र रामपाल
8. रामस्वरूप पुत्र रामपाल
9. सुखलाल पुत्र रामपाल
   समस्त जाति माली निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

——अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

श्री शिवप्रसाद पाराशर — अधिवक्ता प्रार्थी
श्री निर्मल चौधरी — अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 6 से 9
पैरोकार सरकार (जरीये तहसीलदार केकडी) — अप्रार्थी संख्या 10

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. टेनेन्सी एक्ट

—:निर्णयः—

दिनांकः— 12.04.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. टेनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र में वर्णितं खातेदारी की आराजी वाके ग्राम/कस्बा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
502—441	628 644	0.14 0.40	बारानी उत्तम चाही 2 जाव 2
	किता 2	रकबा 0.54 हैक्टर	

प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजीयात 562 की मेड से होकर खसरा नम्बर 562 मे से होकर कदीमी रास्ता बना हुआ है तथा उक्त रास्ते का ही उपयोग—उपभोग प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से ही करते चले आ रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की आराजयात में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है। अप्रार्थीगण की नियतबद्ध होने से अप्रार्थीगण ने नाजायज व अनाधिकृत तरीके से नियम एवं कानूनों के विरूद्ध जाकर

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी की आराजी में आवागमन के बने हुए एकमात्र कदीमी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध कर लिया है जिसके कारण प्रार्थी अपनी आराजी को काश्त नही कर पा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा इस कदीमी रास्ते को रोक देने से प्रार्थी अपनी आराजीयात में आ जा नही सकेंगे जिससे प्रार्थी के हितोबद्ध विपरीत प्रभाव पडेगा तथा प्रार्थी अपने कदीमी रास्ते से सदैव के लिए वंचित हो जायेगा। दिनांक 15.07.2021 को अप्रार्थीगण ने उक्त कदीमी रास्ते को अपनी आराजीयात में मिलाकर काश्त करने एवं अवरूद्ध करने की धमकी दी जिससे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी की आराजी में आने जाने हेतु बने कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 562 वाके कस्बा केकड़ी को खुलासा करवाया जाने तथा कदीमी रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नही करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया है। पक्षान्तर माननीय न्यायालय इस निर्णय में पंहूचे कि डी.एल.सी. दर के आधार पर रास्ता अप्रार्थीगण से दिलाया जाकर शुल्क प्रार्थी से वसूल किया जावे तो रास्ते की भूमि बावत प्रार्थी डी.एल.सी. दर के अनुसार रास्ते में आई हुई भूमि का शुल्क अदा कराने हेतु तैयार एवं तत्पर है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 6 से 9 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र का पेरा संख्या 1 वादी स्वयं सिद्ध करें एवं राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित होना बताया। पेरा संख्या 2 से 7 गलत होना जाहिर किया एवं अस्वीकार किया गया। पेरा संख्या 8 कानूनी होकर प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें। साथ ही निवेदन किया गया कि खसरा संख्या 562 में माननीय न्यायालय से यथास्थिति का आदेश जारी हो रखा है, इसलिए उक्त खसरा नम्बर 562 के बावत माननीय न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नही किया जा सकता है जिससे यह प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी की आराजी में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 562 में से कदीमी रास्ता कभी भी नही बना हुआ था जबकि पडोस में ही खसरा नम्बर 9783/645 जो मौके पर रास्ता बना हुआ है जिस पर कॉलोनी का रास्ता है तथा प्लाट कटे हुए है उसी रास्ते से प्रार्थी अपनी आराजीयात पर आ जा रहा है तथा उक्त रास्ता तरमीम भी हो रखा है। अतः अप्रार्थीगण 1 से 3 व 6 से 9 का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 4 व 5 जवाब हेतु पर्याप्त समय और अंतिम समय दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही किये जाने से जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी द्वारा जवाब सरकार/मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मौका रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है –

1. प्रार्थनापत्र में अंकित ग्राम केकड़ी के खसरा नम्बर 628 रकबा 0.14 हैक्टर, 644 रकबा 0.40 हैक्टर प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है।
2. प्रार्थी वर्तमान में खसरा संख्या 562 रकबा 0.91 हैक्टर की दक्षिण व पूर्वी मेड से आवागमन कर रहा है।
3. प्रार्थी के खेत से निकटतम खसरा संख्या 563 जयपुर रोड से कटानी रास्ता निकलता है। संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शित है।
4. प्रार्थी हेतु खसरा संख्या 563 कटानी रास्ते से खसरा संख्या 562 के दक्षिणी व पूर्वी मेड से होकर आवागमन सुविधाजनक एवं नजदीक रहेगा। विस्तृत रिपोर्ट संलग्न है। लेकिन खसरा नम्बर 562 पर नोट संख्या 18 से उपखण्ड न्यायालय एवं न्यायालय अपर कलक्टर कोर्ट से स्थगन है।
5. उपरोक्तानुसार वांछित रास्ते के अलावा मौका स्थिति अनुसार नजदीकी एवं सुविधाजनक अन्य रास्ता नही दिया जा सकता।
6. प्रार्थी को वर्तमान में अपने खेत पर आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
7. प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 562 में लम्बाई 175 मीटर एवं चौडाई 4 मीटर कुल 0.07 हैक्टर भूमि बनती है जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 2055404/– प्रति हैक्टर के दोगुने से पतिकर राशि 287757/– रूपये बनते है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

8. अप्रार्थी जमीन के वदले जमीन पर ही सहमत है।

9. **खसरा संख्या 562 पर नोट संख्या 18 से उपखण्ड न्यायालय एवं न्यायालय अपर कलक्टर कोर्ट का स्थगन है एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को आवागमन के लिए कभी रोका नही गया है और ना ही भविष्य में आने जाने के लिए रास्ता रोका जायेगा।**

10. प्रतावित रास्ता का नक्शा ट्रेस संलग्न है।

वरवक्त सुनवाई पक्षकारान के अधिवक्ता को सुना गया। पेरोकार सरकार को सुना गया। रिपोर्ट तहसीलदार में स्पष्ट किया गया है कि खसरा नम्बर 562 जिसमें से प्रार्थी अपनी आराजी पर काश्त हेतु आवागमन कर रहे हैं पर विभिन्नय न्यायालयों रो स्थगन प्रभावी है। ऐसी परिस्थिति में वर्तमान में उक्त आराजी से रास्ता दिया जाना विधि विरूद्ध होगा। साथ ही रिपोर्ट में यह भी अवगत कराया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को अपनी आराजी में काश्त हेतु आवगमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही की है एवं ना ही भविष्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करेंगे। लेकिन प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया है कि जेसा कि श्रीमान तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी अभि तो किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने के लिए सहमत है लेकिन पूर्व अनुसार भविष्य में अप्रार्थीगण कभी भी प्रार्थी के आवागमन में बाधा उत्पन्न कर सकते है जिससे उन्हे माननीय न्यायालय द्वारा पावन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रकरण में ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि कस्बा केकड़ी के खसरा नम्बर 562 में बने कदीमी रास्ते से प्रार्थी को उसकी कृषि भूमि में काश्त हेतु आने जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। आदेश मेरे द्वारा लिखाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी